


रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदयजी,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्तावेज आधार काँडे श्लवी की मार्कशीर परिवार राजन काँडे के आधार पर हरदात पु. नाशराम के बजाम हरिराम पु. नाशराम किया जाना प्रतीकित है -


6.12.21
कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

कमलेश्वरी
(कमलेश्वरी)

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :- राय पंचायत-छापौली
पंचायत समिति उदयपुरवाटी (शुद्ध)

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अगिशंथा की जाती है ~~नहीं~~ की जाती है।

उक्त नाम उचित है


8/12/21
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)


-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	छापौली	2075-78	433	हरदात पु. नाशराम	हरिराम पु. नाशराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।


उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 8/12/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2130

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाथ।


उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

